C|C|H|R
Chicago Commission on
HUMAN RELATIONS

लैंगिक पहचान भेदभाव

इसे अनदेखा न करें- इसकी रिपोर्ट करें!

किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना ग़ैरक़ानूनी है।

लैंगिक पहचान का अर्थ है- पुरुष या महिला होने के नाते किसी व्यक्ति का वास्तविक या समझा गया रूप, अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार; चाहे वह रूप, अभिव्यक्ति, पहचान या व्यवहार उस व्यक्ति के जन्म के साथ परंपरागत रूप से जुड़ी लैंगिकता से भिन्न हो या न हो।

लैंगिक पहचान भेदभाव के उदाहरणों में शामिल हैं:

- किसी व्यक्ति को सार्वजनिक शौचघर, लॉकर रूम या उनकी पसंद के चेंजिंग रूम का चयन करने से मना करना।
- लैंगिक पहचान के आधार पर किसी ग्राहक को अपमानजनक उपेक्षा, उपहास और अन्य उत्पीड़न का विषय बनाना।
- लैंगिक पहचान के चलते किसी आवेदक या कर्मचारी को नौकरी पर रखने, पदोन्नति देने या उसके साथ समान बर्ताव करने से इंकार करना।
- लैंगिक पहचान के चलते किसी व्यक्ति को आवास किराए पर देने या बेचने से इनकार करना या अन्य तरीकों से आवास तक उनकी समरूप पहुंच को सीमित करना।

अगर आपको लगता है कि आप आवासीय भेदभाव का शिकार रहे हैं, तो इसे अनदेखा न करें, इसकी रिपोर्ट CCHR को करें।

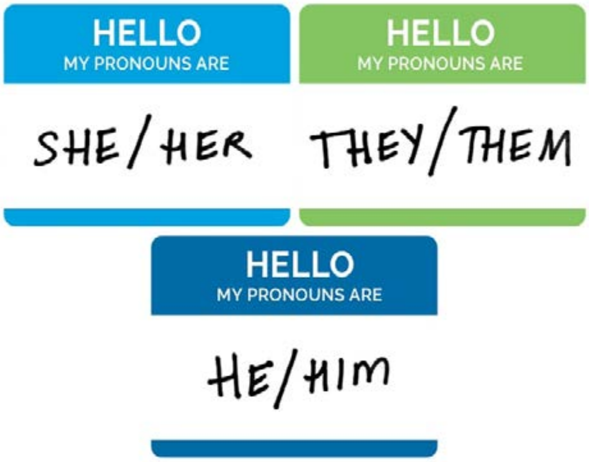

हमसे (312) 744-5879 पर संपर्क करें
ईमेल: cchr@cityofchicago.org

वेबसाइट: Chicago.gov/humanrelations
@ChicagoCHR
@ChiCCHR

Lori E. Lightfoot
शिकागो के मेयर